न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 62/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2021/38
दायर दिनांक :– 07.04.2021 **निर्णय दिनांक :–** 09.10.2024

1. रामकरण पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रति. संख्या 1
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि नवसृजित ग्राम आजादनगर पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 550/1 रकबा 6.1998 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550/2 रकबा 6.5478 हैक्टेयर कुल रकबा 12.7476 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है इसी अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर नवसृजित ग्राम आजाद नगर पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 550/1 रकबा 6.1998 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550/2 रकबा 6.5478 हैक्टेयर कुल रकबा 12.7476 हैक्टेयर भूमि में हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर [illegible] गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित [illegible] उभय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उन[illegible] द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में को कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम आजादनगर पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 550/1 रकबा 6.1998 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550/2 रकबा 6.5478 हैक्टेयर कुल रकबा 12.7476 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	रामकरण पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	आजादनगर	550/1 550/2	6.1998 हैक्टेयर 0.1740 हैक्टेयर	बा–3
2	मोहनलाल पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	आजादनगर	550/2	6.3738 हैक्टेयर	बा–3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

09.10.24

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:38 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम–डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. रामकरण पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 62/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व विजय तंवर मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम आजादनगर पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 550/1 रकबा 6.1998 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550/2 रकबा 6.5478 हैक्टेयर कुल रकबा 12.7476 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	रामकरण पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	आजादनगर	550/1 550/2	6.1998 हैक्टेयर 0.1740 हैक्टेयर	बा–3
2	मोहनलाल पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	आजादनगर	550/2	6.3738 हैक्टेयर	बा–3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

बाबत्

मुतालिक

फीस सदी सालाना आज की तारीख

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर

को अदा करे।

वसूल याबी तक

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.10.2024 को जारी की गई।

09.10.24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:38 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।